



राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



F11(6)/Exam/Inst./IAS(P)/2024/1670

दिनांक : 30/04/2024

कार्यालय-आदेश

संस्थान द्वारा दिनांक 06.05.2024 से 09.05.2024 की अवधि में आयोजित की जा रही भारतीय प्रशासनिक सेवा (बैच-2022) के प्रशिक्षु अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा में निम्न प्रशिक्षु अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

Roll No.	Name of Officer
01	ANSHU PRIYA
02	BHAISARE SHUBHAM ASHOK
03	DIVYANSH SINGH
04	MOHIT KASNIYA
05	PREETAM KUMAR
06	SAKSHAM GOEL
07	SHRADDHA GOME
08	YAKSH CHAUDHARY
09	YASHARTH SHEKHAR

परीक्षा कार्यक्रम

Date	Session	Time	Paper No.	Name of Paper / Subject of Paper
06-05-2024	Evening	02:30 PM to 05:30 PM	I	General Laws.
07-05-2024	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	II	Revenue Administration, Revenue Laws and Land Reforms.
	Evening	02:30 PM to 05:30 PM	III	Financial and Personnel Administration with reference to State Rules and Laws.
08-05-2024	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	IV	Administrative Environment and Administrative Issues at State and District Levels.
	Evening	02:30 PM to 05:30 PM	V	Development and Welfare Administration with Special reference to Processes and Structures of Implementation in Rajasthan.
09-05-2024	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	VI	Economic Environment and Planning at State and Lower Levels.


परीक्षा स्थल : दीक्षा/एन. 212, नेहरू भवन, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- (1) प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- (2) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- (3) Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- (4) व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। (5) परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।

Contd/निरन्तर

- (6) परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान, चाय एवं पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- (7) परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- (8) परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- (9) परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- (10) परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- (11) परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्मला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
- (12) संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।




(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

F11(6)/Exam/Inst./IAS(P)/2024/1621-28

दिनांक : 30/04/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक एवं पाठ्यक्रम निदेशक (IAS Batch-2022), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं आयोजना), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (परिसर-नेहरू भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया परीक्षा अवधि में परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई, बैठने तथा सैनिटाईजेशन की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित करने का श्रम करें।
5. डॉ. प्रियंका व्यास, सहायक प्रोफेसर (वित्तीय प्रबंध) एवं सह पाठ्यक्रम निदेशक (IAS Batch-2022), एच.सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिकारियों को रोल नम्बर तथा परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराने का श्रम करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय-आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की व्यवस्था करावें।
8. नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन/विश्रांति)।
9. रक्षित पत्रावली।



एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)